

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2009

संशोधित आदेश

क्रमांक : एफ 1-51/2008/42-पार्ट — विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01 जून, 2009 को राज्य शासन द्वारा डॉ. भगवंत सिंह, की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का कुल सचिव नियुक्त किया गया था उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए डॉ. भगवंत सिंह को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 17 सहपठित 18 (2) के तहत छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का कुल सचिव नियुक्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 8-21/2007/10-2.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30-05-2008 जो वन्यप्राणी (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 39 सन् 2006) की धारा 38 (यू) के तहत बाघ सह प्रजातियों और वैसे ही पशुओं के समन्वय, मॉनिटरिंग, संरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु गठित संचालन, समिति से संबंधित है। उक्त समिति में आंशिक संशोधन करते हुये समिति के सदस्य क्रमांक 12 श्री अघन सिंह ठाकुर विधायक, कांकर के स्थान पर वर्तमान विधायक, कांकर श्रीमती सुमित्रा मर्सकोले को सदस्य नामांकित किया जाता है।

No. F 8-21/2007/10-2.— In reference to the even numbered order dated 30-05-2008 which is in the exercise of powers conferred by section 38 (U) of the wildlife (Protection) Amendment Act, 2006 (Central Act No. 39 of 2006), in order to ensure co-ordination, Monitoring, protection of Tiger, Co-predators and prey animals. The State Government hereby nominates Smt. Sumitra Marskole Member of Legislative Assembly as member of committee in place of Shri Aghan Singh Thakur Member at serial Number 12.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र सिंह, सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.— खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम-29 का अनुसूची तीन में उल्लेखित निम्नानुसार दरे स्थापित किया जाए :—

2. ये संशोधित दरें तारीख 01 नवम्बर 2009 से लागू होंगी.

अनुसूची-तीन
(देखिए नियम 29)

क्र. (1)	खनिज (2)	रायल्टी की दर (3)
1.	आकारीय पत्थर ग्रेनाइट, डोलेराइट और अग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लास्क, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है. (क) काला रंग (ख) अन्य रंग	1000/- प्रति घ.मी. 500/- प्रति घ.मी.
2.	संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लास्क, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है.	300/- प्रति घ.मी.
3.	अन्य प्रयोजन के लिए संगमरमर पत्थर	200/- प्रति घ.मी.
4.	फलेग स्टोन प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श छत आदि के लिए किया जाता है.	103/- प्रति घ.मी.
5.	साधारण रेत, बजरी	20/- प्रति घ.मी.
6.	मुरूम	20/- प्रति घ.मी.
7.	पत्थर (क) बोल्टर (ख) मिट्टी, रोड मेटल (ग) परिष्कृत पत्थर, खंडा, ढोका	103/- प्रति घ.मी.
8.	ईट, बर्तन, कवेलू आदि बनाने के लिए साधारण मिट्टी	20/- प्रति घ.मी.
9.	अन्य गौण खनिज	40/- प्रति घ.मी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.---भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12, दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 7th October 2009

No. F 7-7/2004/12.—In exercise of the powers conferred by section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government hereby makes the following amendments in Chhattisgarh Minor Mineral Rule, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

1. In Schedule III, of Rule 29 the following rates of royalties shall be substituted.
2. It shall come in to force from the date 01st November 2009.

SCHEDULE-III
(See Rule 29)

RATES OF ROYALTY

S. No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
1.	Dimensional Stone-Granite, dolerite, and other igneous and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension :— (a) Black colour (b) Other colour	1000/- per cu.mt. 500/- per cu.mt.
2.	Marble which is used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	300/- per cu.mt.
3.	Marble stone for other purpose	200/- per cu.mt.
4.	Flagstone Natural sedimentary rock which is used for flooring	103/- per cu.mt.
5.	Ordinary Sand, Bajri	20/- per cu. mt.
6.	Murum	20/- per cu. mt.
7.	Stone :— (a) Boulder (b) Gitti, Roadmetal (c) Dressed stone, Khanda, Dhoka	103/- per cu. mt.
8.	Soil-For making bricks and tiles	20/- per cu.mt.
9.	Other minor minerals	40/- per cu.mt.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.